तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-2-21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। वकील अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रा० पत्र पेश किया गया जो शामिल फाईल किया गया। नकल वकील प्रार्थी को दिलवायी गई। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 1-3-21 को पेश हो।	
1.3.21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यप्रार्थी दिनांक 1.6.21 को पेश हो।	
1/6/21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 13.9.21 को पेश हो।	
13.9.21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के तहत केम्प कोर्ट में दिनांक 27/10/21 को पेश हो।	
27.10.21	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत केम्प कोर्ट बालापुरा में आज पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित है। तहसीलदार नैनवां से जवाब रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार ग्राम करीरी में ख.नं. 544/100 रकबा 1-01 बीघा भूमि वर्तमान में कौशल्या पत्नी भरतराज हि० 1/3 धाकड़, सीताबाई पत्नी जगदीश हि० 1/3 धाकड़, केलाबाई पत्नी बध्धीला धाकड़ सा० देह खातेदार दर्ज है। यह कि ख.नं. 544/100 रकबा 1-01 बीघा भूमि पर बाड़ बनाकर अतिक्रमी सोभागर पि० [illegible] गुर्जर सा० देह द्वारा कब्जा [illegible] तथा पुखराज पि० किशोर गुर्जर सा० देह,	

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:59:14 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की तारीख में जारी हुक्म
	भोलूलाल पिता रामनिवास गुर्जर सा० देह द्वारा कांटो की बाड़ बनाकर बाड़ा बनाकर कब्जा होना पाया गया। हमने इजराय प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत शपथ-पत्र, रिकार्ड दस्तावेज व निर्णय डिक्री दिनांक 31-5-2017 का अवलोकन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से वादीगण की भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा बाड़ा बनाकर कब्जा होना साबित होता है। इजराय प्रार्थना पत्र पर बहस उपस्थित पक्षकारान सुनी गई। पुन: डिक्री पर्चा जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादीगण की भूमि खसरा सं. 544/100 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा ग्राम करीरी के किसी भी भाग पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा नही करें, निर्माण नही करे, कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे, वादीगण की भूमि पर निर्माण कर दिया गया हो तो निर्माण तुड़वाकर कब्जा वादी को सुपुर्द किया जावे, इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो निर्णय सुनाया गया। पत्रावली बाद तक्मील [illegible] दफ्तर हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:19:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)